न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती नोरती बनाम राज. सरकार व अन्य

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 RTA मु0न0 12 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
18/7/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। सरकार पेरोकार [illegible] बाद आवश्यक रूप जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें। पत्रावली दिनांक 6/9/22 को पेश हो। (राहुल जैन) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
06-09-2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने से उनके जवाब प्रार्थना पत्र हक बंद किये जाते हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी के कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। वितर्क में पेरोकार सरकार ने कथन किए कि उक्त प्रकरण भूमि अवाप्ति से संबंधित है जिसमें किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नहीं है,अतः प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जावे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में विवादित आराजियात पर भूमि अवाप्ति के तथ्यों को लेकर अनुतोष चाहा गया है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् ऐसे कोई तथ्य प्रथम दृष्टया सामने नहीं है जिसमें, अस्थाई निषेधाज्ञा आत्यांतिक आवश्यक हो। अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। अतः ग्राम दौलतपुरा बलाईयान पटवार हल्का देलवाड़ा की विवादित आराजियात पर यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (राहुल जैन) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	